

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुं नं 70/17 तारीख रज 19-9-17

उपान - जयलाल बनाम जौरी के मीना  
ठोडी खोहरा


प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्वारा 212  
RTA Act

प्रार्थी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत चारा 212 RTA Act के तहत पेश की गयी। जमा बन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक-तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः जैरसापल को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से बाबन्द किया जाता है कि ग्राम खोहरा की भूमि ख. नं. 557 रकबा 0.05 है। किस्म और मुमकिन चाह की आगामी पेशी तक रिफाई एवं डीके की व्यवस्था बनीये शेष प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार कर अस्थायी गणों को जरिये नोटिस से तालब कर पत्रावली दिनांक 18-10-17 को पेश है।


5205-5207  
21-9-17

  
जगदीश अर्य  
अधिका कलक्टर  
टोडाभीम

18-10-17 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 15-23 उपस्थित।  
आदेश दिनांक 21-11-17 को पेश है।

  
इंजिनियर

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 23 उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती व दुइलाल मीना एडवोकेट ने कमलत नाम पेश किया करने का कथन किया। पोसा क्रिटिज में पधोर है। वस्तु अग्रिम आदेश दिनांक 24-11-17 को पेश है।

उपस्थित  
  
इंजिनियर

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... खोहरा  
में दिनांक 26.6.18... को पेश हो

26<sup>6</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय अधिकार  
कार्रवाई में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी  
वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः  
यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी  
एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैलत शमार लोक नम्बर से कम लोक दावा पत्रावली  
के साथ संलग्न करें। निर्णय की प्रतीत लहरी मद्र  
को भिजवाये।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (पत्रावली)